भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 508

जिसका उत्तर दिनांक 06.12.2023 को दिया जाना है

परमाणु इकाइयों का सुरक्षागत रखरखाव

508. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग की गुजरात में वडोदरा, हजीरा स्थित काकड़ापार परमाणु बिजलीघर और भारी जल उत्पादक इकाइयों के सुरक्षागत रखरखाव के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की इन सभी इकाइयों में संस्थापित विभिन्न मशीनरी/उपकरणों की नियमित जांच/निरीक्षण करती है; और

(ग) क्या गुजरात राज्य सरकार के समन्वय से राज्य पुलिस सहित उक्त स्थानों पर बचाव/निकासी के लिए नियमित अभ्यास किए जाते हैं जो किसी अप्रिय घटना की स्थिति में सहायक हो सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) एक सुदृढ आंतरिक और स्वतंत्र नियामक तंत्र मौजूद है तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) दोनों द्वारा काकरापार परमाणु बिजलीघर सहित सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एनपीपी) में आवधिक संरक्षा समीक्षा की जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में संरक्षा स्थैतिक नहीं है और उद्‌विकासी वैश्विक मानकों, घटनाओं और प्रचालन अनुभव प्रतिपुष्टि के आधार पर उनमें सुधार/उन्नयन किए जाते हैं। भारी पानी बोर्ड सुविधाएं, वड़ोदरा और भारी पानी संयंत्र, हजीरा में, इन संयंत्रों का संरक्षा अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई संरक्षा प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। संयंत्र सुरक्षा कर्मियों के पास अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के साथ-साथ फैक्टरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक अर्हताएं और पर्याप्त अनुभव है।

(ख) जी, हां। एनपीसीआईएल के प्रचालित बिजलीघरों में नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपकरणों का उपयोग करके और स्वास्थ्य मूल्यांकन के आधार पर सेवाकालीन निरीक्षण करके उपकरणों और घटकों के पूर्वानुमानित और निवारक अनुरक्षण का एक कार्यक्रम है। इसी तरह, भारी पानी बोर्ड सुविधाएं, वड़ोदरा और भारी पानी संयंत्र, हजीरा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न मशीनें और उपकरणों की नियमित जांच और निरीक्षण करते हैं।

(ग) गुजरात में काकरापार नाभिकीय बिजलीघर और भारी पानी बोर्ड सुविधाएं, वडोदरा और भारी पानी संयंत्र, हजीरा के पास एक विस्तृत आपातकालीन तैयारी योजना मौजूद है। किसी अप्रत्याशित घटना के आपातस्थिति घोषित होने पर, इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्धारित है। इसके अलावा, सभी हितधारकों को शामिल करते हुए समय-समय पर आपातकालीन अभ्यास और नियमित पूर्वाभ्यास नियमित अंतराल पर किए जाते हैं और अभ्यास से प्राप्त प्रतिपुष्टि का उपयोग उपरोक्त संस्थापनाओं की आपातकालीन तैयारी योजनाओं को मान्य करने और सुधार के लिए किया जाता है।

* * * * *